

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 25.08.2021

थाना रसूलाबाद

दिनांक 24.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-305/21 धारा-376डीए/506 भादवि में वाछित अभियुक्त वीरसिंह उर्फ वीरा को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रूरा

दिनांक 24.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग धारा-110 जी सीआरपीसी में वारन्टी अभियुक्तगण बबलू आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना मंगलपुर

दिनांक 24.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-88/14 धारा-354/452/323 भादवि में वारन्टी अभियुक्त राजेन्द्र को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 24.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-520/17 धारा-323/504/506 भादवि में वारन्टी अभियुक्त राजू सिंह को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना मूसानगर

दिनांक 24.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-117/21 धारा-379/411 भादवि में वाछित अभियुक्तगण धर्मेन्द्र उर्फ मेघनाथ आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 24.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-778/21 धारा-376/506 भादवि में वाछित अभियुक्त भोला सिंह को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 24.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग वाद सं0 556/21 धारा-107/116/151 सीआरपीसी में वाछित अभियुक्तगण ननकऊ आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 24.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 230/21 धारा- 3(1) गेंगस्टर एक्ट में वाछित अभियुक्त सिद्धनाथ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 द0प्र0सं0

दिनांक 25.08.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना सटटी 05, रसूलाबाद 03, भोगनीपुर 07, शिवली 07, मंगलपुर 02, अकबरपुर 07, डेरापुर 01, सिकंदरा 02, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।